**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–2) विभाग**

क्रंमाक पं. 2(4)कार्मिक/क–2/2016 जयपुर, दिनांकः 1 FEB 2021

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।

2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

## आज्ञा

विषयः–अनुसूचित क्षेत्र में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में 19 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए आरक्षण का रोस्टर।

राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरे जानें का प्रावधान किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र कीं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का, योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में, नियमानुसार चयन किये जाने का प्रावधान किया गया है, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 4.7.16 के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में भी अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति कार्मिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करनें का प्रावधान किया गया है।

इसी क्रम में कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 11.8.2016 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण हेतु परिशिष्ट के रूप में 100 बिन्दु का रोस्टर जारी किया गया, जो अब परिशिष्ट–I के रूप में पढा जायेगा।

circular - 121

7/2021

अब कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि जिन विभागों में पदों की संख्या 19 या उससे कम हैं, उनमें अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता है। अतः कार्मिक विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.8.2016 के कम में 19 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण का मॉडल रोस्टर परिशिष्ट–II के रूप में निर्धारित किया गया है जो मूल अधिसूचना जारी होने की दिनांक से ही लागू होगा।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से
11/2/21
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

7/2021

परिशिष्ठ–।।

## T.S.P क्षेत्र में सीधी भर्ती/पदोन्नति में 19 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए आरक्षण का मॉडल रोस्टर

| संवर्ग संख्या | प्रारम्भिक भर्ती | प्रतिस्थापन संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC |
| 2 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | |
| 3 | ST-1 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | |
| 4 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | |
| 5 | ST-2 | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | |
| 6 | UR | ST | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | |
| 7 | ST-3 | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | |
| 8 | UR | ST | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | |
| 9 | ST-4 | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | |
| 10 | UR | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | |
| 11 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | |
| 12 | ST-5 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | |
| 13 | UR | ST | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ST-6 | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | UR | ST | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ST-7 | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | UR | ST | UR | SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ST-8 | UR | SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | UR | SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणः 1. 2 से 19 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर स्तंभ 'संवर्ग संख्या' के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात 'L' की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिज रूप में।

2. संवर्ग के समस्त पद स्तंभ 'प्रारम्भिक भर्ती' के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिन्हित किए गये है, जिसके अनुसार प्रारम्भिक रूप से पद, चिन्हित प्रवर्गों से भरे जानें होगें। साथ ही संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिज रूप से दर्शाया गया है।

टिप्पणः चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है, निम्नवत हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UR | Unreserved (अनारक्षित) |
| 2 | SC | Scheduled Castes (अनुसूचित जाति) |
| 3 | ST | Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति) |

7/2021